न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/2011
आरसीएमएस नं0 2021/00290
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

1. पत्थरो देवी पत्नी श्री दलूराम जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. शेराराम पुत्र सहीराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिल हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. मूली देवी पत्नी स्व0 कालूराम
2. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 कालूराम

} जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

3. विमला पत्नी श्री भगवान
4. सरोज पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार

} पुत्रियां स्व0 कालूराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तह0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

5. मूर्ति देवी पत्नी श्री भींवराज पुत्री स्व0 कालूराम जाति जाट निवासी बहलोलनगर तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. गुड्डी देवी पत्नी श्री औमप्रकाश पुत्री श्री सहीराम जाति जाट निवासी नन्दराम वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. दयालो पत्नी श्री काशीराम पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. दोला पत्नी श्री बलराम पुत्री सहीराम जाति जाट निवासी श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. सुरता पत्नी श्री बनवारी लाल
10. सरोज पुत्री श्री बनवारी लाल
11. विनोद पुत्र श्री बनवारी लाल

} जाति जाट निवासी पलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

12. अनिता देवी पत्नी श्री भरतराज पुत्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी चक 10 बी एन.डब्ल्यू. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

13. विमला पुत्री श्री नत्थुराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2011

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प्रकरण संख्या 11/2006 बअनवान पत्थरो देवी बनाम कालूराम

श्री सोहनलाल सुथार अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मनेष सिह तंवर अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5

श्री खुशप्रीत सिह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 13

श्री खुशकरण सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 14

निर्णय दिनांकः— 30.8.2020

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादीया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88, 53 आरटीएक्ट में एक वाद पेश किया जिसमे वादिया के पिता सहीराम के नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 1 पीबीएन तथा चक नं. 3 एनएसडब्ल्यू के में कुल 16.448 हैक्टर नहरी बारानी भूमि थी। उक्त आराजी सहीराम के जीवनकाल में सहीराम के कब्जा में तथा सहीराम की मृत्युपरान्त उक्त आराजी वादिया व प्रतिवादी सं0 1 से 9 के संयुक्त कब्जा काश्त में है। प्रतिवादी सं0 10/प्रत्यर्थी सं0 10 का प्रश्नगत कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा क्यों कि सहीराम के मृत्यु से पहले ही प्रतिवादी सं0 10 के पिता ने अपने घर व हिस्सा के बदले धन ले लिया था। सहीराम की मृत्युपरान्त उक्त आराजी को राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादी सं0 1, 2 ने तथा प्रतिवादी सं0 6 ता 10 के पति व पिता ने अपनी नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा ली

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उक्त आराजी वादिया व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है तथा वादिया प्रश्नगत आराजी में 1/8 का वाजिब हिस्सा है। वादिया ने अपने हिस्सा की खातेदार होने व मुताबिक घोषणा अच्छी–मन्दी के लिहाजा से खाता तकसीम कर उसी कदम दखल दिलवाये जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी ने जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया और स्वयं का 1/4 हिस्सा होने का कथन किया एवं कुल 16 बीघा 5 बिस्वा पर अपना कब्जा वर्णित कर इसी अनुसार खाता विभाजन किये जाने का अनुतोष याचित किया। वादिया/अपीलार्थी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 10/प्रत्यर्थी सं0 14 के प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिदावा में वर्णित अभिवचनों से इंकार किया तथा प्रतिवादी सं0 10 का प्रश्नगत कृषि भूमि में किसी हिस्सा पर कब्जा नहीं होने का कथन किया। विचारण न्यायलाय ने तनकीयात कायम करते हुए वाद वादीया खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 शेराराम द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर उसे दिनांक 20.05.2022 को अपील में अपीलाण्ट सं0 2 बनाया गया।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीया ने प्रश्नगत भूमि सहीराम पुत्र भेराराम पिता वादिया की होना साबित किया है प्रतिवादी सं0 10 ने अपने जवाबदावा में वादिया का सहीराम की पुत्री होना स्वीकार किया एवं सहीराम के कुल 8 वारिस होना साबित है। वादिया का प्रश्गनत भूमि में 1/8 हिस्सा वाजिब है तथा प्रतिवादीगण की और से वादिया के उक्त हिस्सा नही होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य नहीं है प्रश्नगत भूमि पैतृक होने से वादिया का प्रश्नगत भूमि में 1/8 हिस्सा होना साबित है। वादिया अपने पिता सहीराम की मृत्युपरान्त प्रश्गनत भूमि की सहहिस्सेदार है। प्रतिवादी सं0 10 ने अपने अभिवचनों से हटकर बिना किसी विशिष्ट व दस्तावेजी साक्ष्य के मौखिक साक्ष्य में वादिया द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हक को त्याग करने के कथन किये हैं जो स्वीकार्य नहीं है। प्रतिवादी सं0 10 ने विशिष्ट कृषि भूमि का विवरण देकर खाता विभाजन की इस्तदुआ की है जबकि विशिष्ट किलों पर कब्जा बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। प्रतिवादी 10 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत हिस्सा दर्ज करवाया है। प्रतिवादी का कोई हिस्सा प्रश्नगत भूमि में नहीं है क्योंकि उसके पिता द्वारा अपना हिस्सा नकद आदि के रूप में ले लिया गया था। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायलाय ने नियम 8 से 21 की पालना नही की है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 13 ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट का दावा एव अपील मिथ्या एवं मनघड़ंत तथ्यों के आधार पर पेश की हुई है। पत्थरों देवी ने राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 88/183 के अन्तर्गत अनुतोष मांगा है। विमला देवी पुत्री नत्थूराम जो कि प्रतिवादी सं0 10 है वह सहीराम की पौत्री है। विमला देवी के दादा सहीराम एवं पिता नतथूराम की मृत्यु हो चुकी थी। सहीराम की मृत्यु के बाद उसके नाम दर्ज भूमि में नत्थुराम के जायज वारिस होने के कारण मिकरा की माता के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हो गया था। मिकरा की माता की मृत्यु के बाद मिकरा की माता का हिस्सा भी मिकरा के नाम दर्ज हो चुका है। इस प्रकार विमला देवी का 1/4 हिस्सा है। प्रश्नगत भूमि पर रेस्पोडेण्ट संख्या 13 का 1/4 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 13 के नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2019 पेज 896 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

वादीया/अपीलाण्ट ने प्रश्गनत भूमि में अपना 1/8 हिस्सा होने का कथन करते हुए प्रश्नगत भूमि के 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं अच्छी मंदी के हिसाब से खाता विभाजन करने का अनुतोष मांगा है। अपने वाद के समर्थन में उसके द्वारा मौखिक साक्ष्य सोहन लाल पुत्र औमप्रकाश, कालूराम पुत्र रामरख , रजिराम पुत्र मुखराम के शपथ–पत्र पेश किये हैं, जिन्होंने वादीया का 1/8 हिस्सा होना जाहिर किया है। जबकि विवादित भूमि सहीराम के फौत होने पर बजरिये मिसल नं. 153 तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.07.77 के द्वारा जायज वारिस कालूराम, शेराराम, बनवारी पिसरान सहीराम बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा एवं भागा बेवाह नत्थूराम व विमला पुत्री नत्थूराम बहिस्सा बरबार 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादीया 10 का भी नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीया ने नामान्तकरण दर्ज होने के दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की और अब यह वाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नामांतरण हो जाने के बाद लगभग 40 वर्ष बाद पेश किया है। उसके द्वारा नामन्तरण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इससे यही स्पष्ट होता है कि पूर्व में वादीया ने अपने स्वच्छा से अपना हक अपने भाईयों के पक्ष में छोड़ा गया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 7 व 8 से स्पष्ट है कि विववादित भूमि प्रतिवादीया के नाम बतौर वारिस के दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार वादीया के कोई वाद कारण हासिल नही हेाने पर तथा स्वेच्छा से भूमि से दस्तबरदार होने पर अब कोई वाद लाने का हक नहीं है। प्रश्नगत भूमि में प्रतिवादीया विमला देवी का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरीया एवं रिकार्ड से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीया विमला देवी का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति मे विचारण न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2011 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.8.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Lario 30/8/20

(करतार सिंह पूनिया आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़